संख्या-15/2025/आई/949321/2025-23-130999(099)/43/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

लोक निर्माण अनुभाग-13 **लखनऊ : दिनांक : 30 अप्रैल, 2025**

विषय - वित्तीय वर्ष 2024-25 में पं0 दीनदयालय उपाध्याय योजनान्तर्गत तहसील/ब्लाक/मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण/चौडीकरण/सुदृढीकरण के चालू कार्यों पर धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-13122/CE-HQ1/BLKMUKH/GON/2025-26 दिनांक 29.04.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पं0 दीनदयालय उपाध्याय योजनान्तर्गत तहसील/ब्लाक/मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण/ चौड़ीकरण/ सुदृढीकरण योजना के अंतर्गत अधोलिखित तालिका में अंकित 01 चालू कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू0 26.43 लाख (रूपये छब्बीस लाख तैतालिस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

क्र.सं.	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत उपरांत की लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	गोण्डा/ प्रांतीय खण्ड	जनपद गोण्डा में झिलही से रमवापुर (अ०जि०मा०) चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 2.550किमी) (165202)।	530.62 530.62 1.98 528.64	502.41	26.43
कुल योग					**26.43**

नियम व शर्ते/ प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/ उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/ कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्ध का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से संबंधित बजट के ऑन-लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/ शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 26.43 लाख(रूपये छब्बीस लाख तैतालिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-58 लेखा शीर्षक 5054-04-337-13-48 पं0 दीनदयालय उपाध्याय योजनान्तर्गत तहसील/ब्लाक/मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के चालू कार्य मानक मद 24 बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u> -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6. मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8. संबंधित मुख्य अभिंयता, लोक निर्माण विभाग।
9. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10. संबंधित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
12. राज्य योजना आयोग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
13. अधीक्षण अभियंता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14. लोक निर्माण अनुभाग-1/6/10/12 एवं 14.
15. नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलाटमेंट सिस्टम) लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
16. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।